

**शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़ संकायवार सीटों का आरक्षण सत्र 2021-22**

| मद                         | अनारक्षित |       |       |                            |          |     | अन्य पिछड़ा वर्ग (14 प्रतिशत) |       |                            |          |     |       | अनुभजाति (12 प्रतिशत) |                            |          |     |       |       | अनुभजनजाति (32 प्रतिशत)    |          |     |  |  |  |
|----------------------------|-----------|-------|-------|----------------------------|----------|-----|-------------------------------|-------|----------------------------|----------|-----|-------|-----------------------|----------------------------|----------|-----|-------|-------|----------------------------|----------|-----|--|--|--|
|                            | कुल सीट   | पुरुष | महिला | स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी | दिव्यांग | योग | पुरुष                         | महिला | स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी | दिव्यांग | योग | पुरुष | महिला                 | स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी | दिव्यांग | योग | पुरुष | महिला | स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी | दिव्यांग | योग |  |  |  |
| बी.ए. / कला संकाय          | 390       | 100   | 49    | 5                          | 9        | 163 | 33                            | 17    | 2                          | 3        | 55  | 30    | 14                    | 1                          | 2        | 47  | 77    | 38    | 4                          | 6        | 125 |  |  |  |
| बी.एस.सी. विज्ञान          | 160       | 43    | 20    | 2                          | 3        | 68  | 13                            | 7     | 1                          | 1        | 22  | 11    | 6                     | 1                          | 1        | 19  | 31    | 15    | 2                          | 3        | 51  |  |  |  |
| बी.एस.सी. गणित             | 50        | 13    | 6     | 1                          | 1        | 21  | 5                             | 2     | 0                          | 0        | 7   | 4     | 2                     | 0                          | 0        | 6   | 10    | 5     | 0                          | 1        | 16  |  |  |  |
| बी.एस.सी. (कंप्यूटर साइंस) | 90        | 23    | 11    | 1                          | 2        | 37  | 8                             | 4     | 0                          | 1        | 13  | 7     | 3                     | 0                          | 1        | 11  | 18    | 9     | 1                          | 1        | 29  |  |  |  |
| बी.कॉम                     | 100       | 26    | 13    | 1                          | 2        | 42  | 9                             | 4     | 0                          | 1        | 14  | 7     | 4                     | 0                          | 1        | 12  | 22    | 7     | 1                          | 2        | 32  |  |  |  |
| एम.ए. हिन्दी               | 30        | 8     | 5     | 1                          | 1        | 15  | 3                             | 1     | 0                          | 0        | 4   | 3     | 1                     | 0                          | 0        | 4   | 5     | 2     | 0                          | 0        | 7   |  |  |  |
| एम.ए. समाजशास्त्र          | 40        | 10    | 5     | 0                          | 1        | 16  | 4                             | 2     | 0                          | 0        | 6   | 3     | 2                     | 0                          | 0        | 5   | 8     | 4     | 0                          | 1        | 13  |  |  |  |
| एम.ए. अर्थशास्त्र          | 40        | 10    | 5     | 0                          | 1        | 16  | 4                             | 2     | 0                          | 0        | 6   | 3     | 2                     | 0                          | 0        | 5   | 8     | 4     | 0                          | 1        | 13  |  |  |  |
| एम.एस. - सी रसायन          | 30        | 8     | 5     | 1                          | 1        | 15  | 3                             | 1     | 0                          | 0        | 4   | 3     | 1                     | 0                          | 0        | 4   | 5     | 2     | 0                          | 0        | 7   |  |  |  |
| एम.कॉम                     | 30        | 8     | 5     | 1                          | 1        | 15  | 3                             | 1     | 0                          | 0        | 4   | 3     | 1                     | 0                          | 0        | 4   | 5     | 2     | 0                          | 0        | 7   |  |  |  |
| एम.ए. अंग्रेजी             | 80        | 20    | 10    | 1                          | 2        | 33  | 7                             | 3     | 0                          | 1        | 11  | 6     | 3                     | 0                          | 1        | 10  | 16    | 8     | 1                          | 1        | 26  |  |  |  |
| बी.जी.सी. सी.ए.            | 80        | 20    | 10    | 1                          | 2        | 33  | 7                             | 3     | 0                          | 1        | 11  | 6     | 3                     | 0                          | 1        | 10  | 16    | 8     | 1                          | 1        | 26  |  |  |  |

  
 प्राचार्य  
**Principal**  
 Gov. L. P. Pande College  
 Sarangah, Dist. Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
::मंत्रालय::  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| No.: L-201-----22----- | 1145              |
| AD (K) JDI             | 100               |
| Section                | Office            |
| Date                   | 5 JUL 2021 C.H.E. |

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर,  
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश  
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।  
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 1563/214/आजशि/सम/2021 दिनांक 16.06.  
2021

-----00-----

2/  
विषयगत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।  
राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के  
लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति  
संलग्न प्रेषित है।  
कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए  
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का  
कष्ट करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक  
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल  
नगर, रायपुर  
की ओर सूचनार्थ अर्पित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय  
P. K. J.  
08/07/2021

### प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

\* स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक का आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

\* स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व स्तर के नियमित/स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्जीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम गथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

21 प्रत्येक शैक्षणिक स्तर में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसके विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित-जनजातियाँ साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

122 (1) बिन्दु क 121 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/मराठों/सामान्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों का संकाय में क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम